डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कडवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)

International Year of Cooperatives 2025 — Cooperatives Build a Better World

G20 — Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्रमांक :- रा.आ.वि./एके/एफ-3/(AC)/(01)/ /06-07/A7315-7325 दिनाँकः 12/12/2025

संशोधित - पत्र

1. प्रो. महेन्द्र कुमार शर्मा, अधिष्ठाता (आयुर्वेद संकाय) एवं प्राचार्य, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
2. प्रो. मोहम्मद आजम अंसारी, अधिष्ठाता (यूनानी संकाय) एवं प्राचार्य, राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर
3. प्रो. जयराम चौधरी, अधिष्ठाता (होम्योपैथी संकाय) एवं निदेशक, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च संस्थान, जयपुर
4. प्रो. शिव कुमार भारद्वाज, प्राचार्य, शिरड़ी साई बाबा आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, रेनवाल जयपुर
5. प्रो. प्रमोद कुमार मिश्रा, प्रोफेसर, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
6. प्रो. ए. नीलिमा, प्रोफेसर, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
7. डॉ. राजाराम अग्रवाल, एसो.प्रोफेसर, रसशास्त्र एवं बी.के. विभाग, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
8. प्रो. मोहम्मद जावेद, राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर
9. प्रो. प्रदीप शर्मा, युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च संस्थान, अलवर
10. डॉ. किशोरी लाल शर्मा, एसो.प्रोफेसर, स्नातकोत्तर क्रिया शरीर विभाग, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर

विषयः- डॉ.एस.आर.राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की विद्या परिषद् का 59 उपवेशन दिनांक 12 दिसम्बर 2025 के कार्यवाही विवरण के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की विद्या परिषद् का **59**वां उपवेशन जो दिनाँक **12.12.2025** को प्रो.(डॉ.) गोविन्द सहाय शुक्ल, माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में प्रातः **11.00** बजे विडियो कॉफ्रेंस द्वारा विश्वविद्यालय के करवड़, नागौर रोड़, जोधपुर स्थित प्रशासनिक खण्ड में आयोजित किया गया, जिसमें समिति द्वारा लिए गए निर्णयानुसार कार्यवाही विवरण आपको इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। यदि इसमें कोई संशोधन हो तो अपने सुझाव शीघातिशीघ्र प्रस्तुत कराने का श्रम करावें। अन्यथा इसे सक्षम स्तर पर अनुमोदित कर इस पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

संलग्नः कार्यवाही विवरण पृष्ठ संख्या 02 से 12 तक।

कुलसचिव

क्रमांक :- रा.आ.वि./एके/एफ-3/(AC)/(01)/ /06-07/A7326 दिनाँकः 12/12/2025

प्रतिलिपि निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

कुलसचिव

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

विद्या परिषद् का 59वां उपवेशन

12 दिसम्बर 2025

कार्यवाही विवरण

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कड़वड़, जोधपुर

फोनः 0291 -5153702
0291 -5153704

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कडवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)

Web side : www.raujodhpur.org , E-mail- rau_jodhpur@yahoo.co.in

क्रमांक :- रा.आ.वि./एके/एफ-3/(AC)/(01)/ /06-07/ दिनाँकः

कार्यवाही विवरण - विद्या परिषद्

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की विद्या परिषद् का **59**वां उपवेशन दिनाँक **12.12.2025** को माननीय कुलपति महोदय प्रो.(वैद्य) गोविन्द सहाय शुक्ल की अध्यक्षता में प्रातः **11.00** बजे व्यक्तिशः/विडियो कॉफ्रेंस द्वारा विश्वविद्यालय के करवड़, नागौर रोड़, जोधपुर स्थित प्रशासनिक खण्ड में आयोजित किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण व्यक्तिशः उपस्थित हुए :-

1. प्रो.(वैद्य) गोविन्द सहाय शुक्ल, कुलगुरू एवं अध्यक्ष, डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. प्रो. महेन्द्र कुमार शर्मा, अधिष्ठाता (आयुर्वेद संकाय) एवं प्राचार्य, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
3. प्रो. प्रमोद कुमार मिश्रा, प्रोफेसर, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
4. प्रो. ए. नीलिमा, प्रोफेसर, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
5. डॉ. राजाराम अग्रवाल, एसो.प्रोफेसर, रसशास्त्र एवं बी.के. विभाग, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
6. कुलसचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

उपवेशन में निम्नलिखित सदस्य विडियो कॉफ्रेंस द्वारा ऑन-लाईन उपस्थित हुए :-

1. प्रो. जयराम चौधरी, अधिष्ठाता (होम्योपैथी संकाय) एवं निदेशक, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च संस्थान, जयपुर
2. प्रो. मोहम्मद आजम अंसारी, अधिष्ठाता (यूनानी संकाय) एवं प्राचार्य, राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर
3. प्रो. शिव कुमार भारद्वाज, प्राचार्य, शिरड़ी साई बाबा आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, रेनवाल जयपुर
4. प्रो. प्रदीप शर्मा, युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च संस्थान, अलवर
5. प्रो. मोहम्मद जावेद, राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर
6. डॉ. किशोरी लाल शर्मा, एसो.प्रोफेसर, स्नातकोत्तर क्रिया शरीर विभाग, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर

सर्वप्रथम विद्या परिषद् दिनाँक **12 दिसम्बर 2025** को आयोजित उपवेशन में उपस्थित सदस्यों का माननीय कुलपति महोदय के स्वागतोपरान्त मद पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई :-

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>एजेण्डा बिन्दु विवरण</th><th>विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>विद्या परिषद् के उपवेशन दिनाँक 16 अक्टूबर 2025 के अनुपालना का अनुमोदन।</td><td>विद्या परिषद् के उपवेशन दिनांक 16 अक्टूबर 2025 के एजेण्डा बिन्दु संख्या-3 में विश्वविद्यालय के यू.टी.बी. पर कार्यरत शैक्षणिक अधिकारियों द्वारा सीएमई एवं विश्वविद्यालय सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षा आदि में भाग लेने पर ''ऑन ड्यूटी'' (ओ.डी.) स्वीकृत करने पर विचार-विमर्श कर नवीन समिति का गठन किया गया जिसमें :-
1. अधिष्ठाता, आयुर्वेद संकाय।
2. प्राचार्य, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
3. उपकुलसचिव, डॉ.एस.आर.रा.आ.वि.वि., जोधपुर
4. डॉ. राजाराम अग्रवाल, परीक्षा नियन्त्रक।
शेष सभी एजेण्डा बिन्दुओं का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>सत्र 2025-26 की सम्बद्धता हेतु राज्य सरकार से नवीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर आवेदन करने पर निरीक्षकों की नियुक्ति की कार्योत्तर स्वीकृति।</td><td>सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट पर स्क्रिनिंग कमेटी द्वारा कि गई अनुशंषा रिपोर्ट पर विचार-विमर्श।</td><td>सत्र 2026-27 हेतु निम्नलिखित एक आयुर्वेद एवं दो होम्योपैथी महाविद्यालयों को Consent of Affiliation form-5 जारी करने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>महाविद्यालयों के नाम</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>श्री भंवरलाल दूगड़ आयुर्वेद विश्वभारती, गांधी विद्या मन्दिर, सरदारशहर (चूरु) (60 से 100 सीट वृद्धि एवं नवीन 03 स्नातकोत्तर विषयों हेतु।)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>नौरंगराम दयानन्द डुकिया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पीटल, एनआरडीडी कैम्पस, मलसीसर रोड़, झुंझुनू</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>इन्डियन मिशन ऑफ मेडिकल सांइन्स सोसायटी, कोटा द्वारा संचालित सुधा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पीटल, उम्मेदपुरा वाया जगपुरा, एन.एच.52, झालावाड़ रोड़, कोटा</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>एजेण्डा बिन्दु विवरण</th><th>विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>सत्र 2025-26 की सम्बद्धता हेतु निम्नलिखित बी.एन.वाई. एस. महाविद्यालयों को सशर्त सम्बद्धता प्रदान करने हेतु अनुमोदन किया गया :-
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>महाविद्यालयों के नाम</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>माया कंवर बा महिला विकास समिति, मानसरोवर, जयपुर द्वारा संचालित टैगोर योग एवं नैचुरोपैथी कॉलेज, जोबनेर, जयपुर</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>राजकीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय, नाथद्वारा, राजसमन्द</td></tr>
</table>
सत्र 2025-26 की सम्बद्धता हेतु निम्नलिखित बी.एन.वाई. एस. महाविद्यालयों को सात दिवस में न्यूनतम मापदण्डानुसार कर्मीयों की पूर्ति करने हेतु पत्र लिखने का अनुमोदन किया गया :-
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>महाविद्यालयों के नाम</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>डी.के. गुप्ता मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर द्वारा संचालित डी.के. गुप्ता कॉलेज ऑफ नैचुरोपैथी एवं योगिक साईंस, जोबनेर, जयपुर</td></tr>
</table>
सत्र 2025-26 की सम्बद्धता हेतु निम्नलिखित बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) महाविद्यालयों को सशर्त सम्बद्धता प्रदान करने हेतु अनुमोदन किया गया :-
<table>
<tr><td>1</td><td>आदर्श पैरामेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन ट्रस्ट, बाघपुरा रोड़, मण्ड्रेला, झुंझुनू द्वारा संचालित एच. एस. कॉलेज ऑफ आयुर्वेद नर्सिंग, झुंझुनू (40 सीट)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>महर्षि वशिष्ठ सोशियल एण्ड एज्यूकेशनल संस्थान, किशनगढ़ बास, अलवर द्वारा संचालित किशनगढ़ आयुर्वेदिक बी.एससी. नर्सिंग कॉलेज, देवटा रोड़ बम्बोरा, किशनगढ़ बास, खैरथल-तिजारा (30 सीट)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>सेठ जी.एल. शिक्षण संस्थान, हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा संचालित बी.एससी. आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज, हनुमानगढ़ जंक्शन (60 सीट)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>बेसिक शिक्षा समिति, रावतसर, हनुमानगढ़ द्वारा संचालित रावतसर कॉलेज ऑफ आयुर्वेद नर्सिंग, जयपुर (60 सीट)</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय	
		5	उर्मिला देवी महँगाया परोपकारी ट्रस्ट, भरतपुर द्वारा संचालित अग्रसेन आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज, भरतपुर **(60 सीट)**
		6	बीफ एण्ड ब्राईट वेलफेयर सोसाईटी, दूदू, जयपुर द्वारा संचालित बालाजी आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज, दूदू, जयपुर **(60 सीट)**
		7	भन्ने सहाय जनकल्याण शिक्षण संस्थान, कालवाड़ रोड़, जयपुर द्वारा संचालित लोकेश आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज, कालवाड़ रोड़, जयपुर **(40 सीट)**
		8	इन्डियन मिशन ऑफ मेडिकल सांइन्स सोसायटी, कोटा द्वारा संचालित सुधा कॉलेज ऑफ आयुर्वेद नर्सिंग, कोटा **(40 सीट)**
		9	माया कंवर बा महिला विकास समिति, मानसरोवर, जयपुर द्वारा संचालित टैगोर आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज, जयपुर **(60 सीट)**
		10.	प्रभु दयाल शिक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जयपुर द्वारा संचालित डॉ. सचिन मेमोरियल आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज, टोडाभीम, करौली **(60 सीट)**
		11.	बाल गंगाधर तिलक शिक्षण संस्थान, भादरा, जिला हनुमानगढ़ द्वारा संचालित महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज, भादरा, जिला हनुमानगढ़ **(60 सीट)**
		सत्र 2025-26 की सम्बद्धता हेतु निम्नलिखित बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) महाविद्यालयों को सात दिवस में न्यूनतम मापदण्डानुसार कर्मीयों की पूर्ति करने हेतु पत्र लिखने का अनुमोदन किया गया :-	
		1.	श्रीमति लल्ली देवी मेमोरियल सेवा संस्थान, टोंक द्वारा संचालित लालीमा बी.एससी. आुयर्वेदिक नर्सिंग कॉलेज, टोंक
		2.	सरस्वती शिक्षण संस्थान, पल्लू, हनुमानगढ़ द्वारा संचालित बी.एससी. आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज, पल्लू, हनुमानगढ़
		3.	महादेव शिक्षा समिति, छोटी खाटू, डीडवाना-कुचामन द्वारा संचालित महादेव आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज, छोटी खाटू, डीडवाना-कुचामन

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय	
		4.	अंबिका शिक्षा समिति पल्लू, हनुमानगढ़ द्वारा संचालित अंबिका कॉलेज ऑफ आयुष पल्लू, हनुमानगढ़
		5.	त्रिवेणी महिला विकास समिति, केकड़ी, अजमेर द्वारा संचालित त्रिवेणी आयुर्वेद नर्सिग महाविद्यालय, गुलगांव
		6.	श्री मिश्री लाल दुबे मेमोरियल संस्थान, पटेल मैदान, काजीपुरा, केकड़ी, अजमेर द्वारा संचालित एम.एल. डी. आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज, केकड़ी, अजमेर
		7.	सरस्वती विद्या मन्दिर संस्थान, लम्बोर बड़ी, राजगढ़, चूरू द्वारा संचालित सरस्वती आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज, लम्बोर बड़ी, राजगढ़, चूरू
		8.	श्री राधे एजूकेशन एवं वेलफेयर सोसाईटी, नावां शहर, डीडवाना-कुचामन द्वारा संचालित श्री पी.आर. मेमोरियल बी.एससी. आयुर्वेद नर्सिंग महाविद्यालय, नावां शहर, डीडवाना-कुचामन
		9.	रामाकृष्णा शिक्षा समिति, 34 मिलाप नगर, टोंक रोड़, जयपुर द्वारा संचालित मनस्वी आयुष नर्सिंग कॉलेज, सांगानेर, जयपुर
		10.	न्यू राजस्थान पब्लिक शिक्षण संस्थान, झुंझुनू द्वारा संचालित बी.एससी. नर्सिंग
		11.	श्री माधव शैक्षिक एवं अशैक्षिक सेवा संस्थान, लाडनूं, नागौर द्वारा संचालित माधव बी.एससी. आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज, लाडनूं, नागौर
		12.	निर्मला कोठारी आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज, सावर, अजमेर
		13.	श्री राता दादा बाल निकेतन शिक्षण संस्थान, भादरा, हनुमानगढ़ द्वारा संचालित सुशीला देवी बी.एससी. आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज, रावतसर

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
4.	डॉ. किशोरी लाल शर्मा, विद्या परिषद् सदस्य द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर विचार-विमर्श।	डॉ. किशोरी लाल शर्मा, विद्या परिषद् सदस्य द्वारा **प्रस्तावित बिन्दु संख्या-1** में एक समिति का गठन किया गया जो उक्त प्रकरण पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत माननीय कुलगुरू के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। समिति निम्नानुसार है :- 1. अधिष्ठाता, आयुर्वेद संकाय। 2. प्राचार्य, पी.जी.आई.ए., जोधपुर 3. प्राचार्य, म.मो.मा. राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर 4. डीन, रिसर्च। **प्रस्तावित बिन्दु संख्या-2** को एजेण्डा बिन्दु संख्या-5 में चर्चा की गई।
5.	विश्वविद्यालय में संचालित बी.एन.वाई.एस. एवं बी.एससी. नर्सिंग पाठ्यक्रम (Syllabus) पर विचार-विमर्श।	विश्वविद्यालय में संचालित बी.एन.वाई.एस. पाठ्यक्रम में संशोधन व परिवर्तन करने हेतु माननीय कुलगुरू महोदय को समिति के गठन किए जाने हेतु सर्वसम्मति से अधीकृत किया गया। साथ ही बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) पाठ्यक्रम में चर्चा कर कोई परिवर्तन नहीं किए जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
6.	विश्वविद्यालय में संचालित बी.एन.वाई.एस. एवं बी.एससी. नर्सिंग पाठ्यक्रम के न्यूनतम मापदण्ड (एम.एस.आर.) एवं निरीक्षण प्रारूप पर विचार-विमर्श।	विश्वविद्यालय में संचालित बी.एन.वाई.एस. एवं बी.एससी. नर्सिंग पाठ्यक्रम के न्यूनतम मापदण्ड (एम.एस.आर.) एवं निरीक्षण प्रारूप पर चर्चा कर सर्वसम्मति से माननीय कुलगुरू महोदय को कमेटी के गठन हेतु अधिकृत किया गया।
7.	विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर अध्येताओं के अध्ययन के दौरान मातृत्व अवकाश पर विचार-विमर्श।	विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर अध्येताओं के अध्ययन के दौरान मातृत्व अवकाश 06 माह किया जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया परन्तु यह भी निर्णय लिया गया कि एन.सी.आई.एस.एम., नई दिल्ली के नियमानुसार उपस्थिति 80 प्रतिशत अनिवार्य है।

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
8.	परीक्षा शाखा एवं गोपनीय शाखा का प्रेषित प्रस्ताव पर विचार–विमर्श। 1. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विद्या परिषद् उपवेशन दिनांक 05.07.2024 में नामांकन के लिये नामांकन की अवधि एवं समस्त माईग्रेशन/स्थानान्तरण प्रमाण पत्र मूल भिजवाने एवं नामांकन फॉर्म में विलम्ब शुल्क दुगुना/चार गुना सहित अंतिम अवधि मुख्य परीक्षा आवेदन की तिथि से 07 दिवस पूर्व तक होना सुनिश्चित करावें अन्यथा प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। जिसमें संशोधन कर मुख्य परीक्षा आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि से 07 दिवस पूर्व तक नामांकन किया जाना सुनिश्चित करावे अन्यथा प्रवेश निरस्त माना जायेगा उक्त नियम विश्वविद्यालय के संघटक एवं सम्बद्धता प्राप्त समस्त महाविद्यालय के साथ – साथ राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर द्वारा प्रवेशित छात्रों पर भी लागू किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।	1. सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
	2. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा प्रश्न पत्र में बहुवैकल्पिक प्रश्नों की उत्तर कुंजी पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा के पश्चात् विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने एवं उसके पश्चात् तीन कार्य दिवस में छात्रों से आपत्ति परीक्षा शाखा द्वारा प्रदत्त ई–मेल आईडी अथवा व्यक्तिगत स्तर पर परीक्षा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगी अन्यथा तीन कार्य दिवस के पश्चात् प्राप्त आपत्ति स्वीकार नही की जायेगी इस हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।	2. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा प्रश्न पत्र में बहुवैकल्पिक प्रश्नों की उत्तर कुंजी पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा के पश्चात् विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने एवं उसके पश्चात् तीन कार्य दिवस में छात्रों से आपत्ति परीक्षा शाखा द्वारा प्रदत्त ई–मेल आईडी अथवा व्यक्तिगत स्तर पर परीक्षा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगी अन्यथा तीन कार्य दिवस के स्थान पर 05 कार्य दिवस के पश्चात् प्राप्त आपत्ति स्वीकार नही की जायेगी का सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
	3. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विद्या परिषद् उपवेशन दिनांक 05.07.2024 में बी.ए.एम.एस. चतुर्थ व्यावसायिक प्रश्न पत्र अनुसंधान पद्धति और चिकित्सा सांख्यिकी का समय तीन घण्टे तथा 13 प्रश्न के स्थान पर 25 प्रश्न निर्धारित किये गये थे। जिसमें संशोधन हेतु 25 प्रश्न के स्थान पर पूर्ववत् कुल 13 प्रश्न (अतिलधुतरात्मक के 2–2 अंक के 07 प्रश्न, लधुतरात्मक के 4–4 अंक के 04 प्रश्न तथा निबन्धात्मक के 10 . 10 अंक के 02 प्रश्न) एवं दो घण्टे किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।	विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विद्या परिषद् उपवेशन दिनांक 05.07.2024 में बी.ए.एम.एस. चतुर्थ व्यावसायिक प्रश्न पत्र अनुसंधान पद्धति और चिकित्सा सांख्यिकी का समय तीन घण्टे तथा 13 प्रश्न के स्थान पर 25 प्रश्न निर्धारित किये गये थे। जिसमें संशोधन हेतु 25 प्रश्न के स्थान पर पूर्ववत् कुल 13 प्रश्न (अतिलधुतरात्मक के 2–2 अंक के 07 प्रश्न, लधुतरात्मक के 4–4 अंक के 04 प्रश्न तथा निबन्धात्मक के 10 . 10 अंक के 02 प्रश्न) एवं दो घण्टे किये जाने के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर समय तीन घण्टे ही रखते हुए जिन विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न–पत्र पुरा हो चुका हो तो उसको दो घण्टे बाद परीक्षा हॉल से बाहर जाने की अनुमति प्रदान की जाने हेतु सर्वसम्मति अनुमोदन किया गया।
	4. विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेस 14 मई, 2010 के O.24 "Control of Unfairmenas and Disorderly Conduct" में उल्लेखित पहलुओं पर पुनर्विचार हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से माननीय कुलगुरू महोदय को कमेटी के गठन हेतु अधिकृत किया गया।
9.	सेमी ऑन लाइन नाड़ी परीक्षण सर्टिफिकेट कोर्स 2025-26 की कार्योत्तर स्वीकृति एवं पाठ्यक्रम में आंशिक संशोधन के पश्चात् पाठ्यक्रम की स्वीकृति पर विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया साथ ही एन.सी.आई. एस.एम., नई दिल्ली एवं विभिन्न प्रदेशों के आयुर्वेद विभाग के निदेशक महोदय को कोर्स हेतु पत्र लिखा जाने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
10.	विश्वविद्यालय के संघटक पी.जी.आई.ए., जोधपुर में बी.ए. एम.एस. बैच 2021 से पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान विद्यार्थियों से तीन किश्तों में फीस लेने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
11.	एन.सी.आई.एस.एम., नई दिल्ली के दिशानिर्देशों के अनुसार विदेशी एम.ओ.यू. पार्टनर संस्थाओं के साथ संयुक्त तत्वावधान में बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर विचार-विमर्श।	एन.सी.आई.एस.एम., नई दिल्ली के दिशानिर्देशों की पालना करते हुए सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
12.	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्रमाण-पत्रीय, एक वर्षीय एवं दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की समीक्षा एवं नवीन पाठ्यक्रम जैसे न्यूट्रास्यूटिकल डायट्री एवं सौन्दर्य प्रसादन आदि पर विचार-विमर्श।	1. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्रमाण-पत्रीय, एक वर्षीय एवं दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के सफल संचालन हेतु समन्वयक नियुक्त किए जाने हेतु माननीय कुलगुरू महोदय को अधिकृत किया गया। 2. नवीन पाठ्यक्रम जैसे न्यूट्रास्यूटिकल डायट्री एवं सौन्दर्य प्रसादन पाठ्यक्रम संचालन का अनुमोदन किया गया। साथ ही पी.जी.आई.ए., जोधपुर के समस्त विभागों को नवीन कोर्स तैयार कर संचालन करने हेतु प्राचार्य, पी. जी.आई.ए. को पत्र लिखे जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
13.	अनुपूरक एजेण्डा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। 1. पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर के पी. जी. अध्येताओं के द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर बैच 2024 के बाद भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना 01 अक्टूबर 2024 के द्वारा पी.जी. अध्येताओं को मेडिकल अवकाश पूर्णतः बन्द कर दिया गया एवं 12 आकस्मिक अवकाश के रूप में दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। पी.जी. अध्येताओं द्वारा आकस्मिक अवकाश में वृद्धि करने हेतु निवेदन किया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, मानद विश्वविद्यालय, जयपुर ने भी पूर्व में स्वीकृत 12 आकस्मिक अवकाश को बढ़ाकर 22 दिवस प्रति शैक्षणिक वर्ष किया गया है। पर विचार-विमर्श।	1. पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर के पी. जी. अध्येताओं के द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर बैच 2024 के बाद भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना 01 अक्टूबर 2024 के द्वारा पी.जी. अध्येताओं को मेडिकल अवकाश पूर्णतः बन्द कर दिया गया एवं 12 आकस्मिक अवकाश के रूप में दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त प्रकरण पर विचार-विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि एन.सी.आई.एस.एम., नई दिल्ली के प्रावधान अनुसार ही 12 दिवस का आकस्मिक अवकाश दिया जाना है।
	2. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में इन-सर्विस कोटे में चयनित अभ्यर्थी की ज्वाईनिंग राज्य सरकार द्वारा गठित काउंसलिंग बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई तिथि के पश्चात् तक ज्वाईनिंग की जाती है जिससे अन्य अभ्यर्थियों के साथ ज्वाईनिंग नहीं होने से इनका	2. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में इन-सर्विस कोटे में चयनित अभ्यर्थी की ज्वाईनिंग राज्य सरकार द्वारा गठित काउंसलिंग बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई तिथि तक करने हेतु राज्य सरकार/निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर को पत्र लिखे जाने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
	सत्र विलम्ब तक रहता है। जिससे शोध कार्य एवं परीक्षा सम्बन्धित कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है इस हेतु विचार-विमर्श।	लिया गया।
	3. पी.जी.आई.ए., जोधपुर में स्नातक पाठ्यक्रम में भारत सरकार द्वारा नॉर्थ ईस्ट की सीटों की आवंटन प्रक्रिया की जाती है परन्तु विगत वर्षों से नॉर्थ ईस्ट की सीट रिक्त रह रही है। इस हेतु विचार-विमर्श।	3. पी.जी.आई.ए., जोधपुर में स्नातक पाठ्यक्रम में भारत सरकार द्वारा नॉर्थ ईस्ट की सीटों की आवंटन प्रक्रिया की जाती है परन्तु विगत वर्षों से नॉर्थ ईस्ट की सीट रिक्त रह रही है। इस हेतु रिक्त रही सीटों को राज्य काउंसलिंग बोर्ड द्वारा पूर्ति करने की अनुमति हेतु आयुष मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र लिखे जाने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन किया जाता है।

अन्त में धन्यवाद के साथ उपवेशन समाप्त हुआ। (पृष्ठ संख्या 02 से 12 तक)।

कुलसचिव
(सदस्य सचिव)